भारत सरकार
खान मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. †623
दिनांक 03.12.2025 को उत्तर देने के लिए

आंध्र प्रदेश में दुर्लभ भू-तत्व और महत्वपूर्ण खनिज भंडार

†623. श्री पी. वी. मिधुन रेड्डीः

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश के तटीय और आदिवासी इलाकों में दुर्लभ भू-तत्वों और महत्वपूर्ण खनिज भंडार की पहचान की है;
(ख) इसके लिए किये गए अन्वेषण का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या निजी या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को खनन के अधिकार दिए गए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या सरकार उक्त राज्य में प्रसंस्करण सुविधा शुरू करने की योजना बना रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कोयला और खान मंत्री
(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) और (ख): जी, हां। वर्ष 2022-23 से, खान मंत्रालय के संबद्ध कार्यालय, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने विजियानगरम, नेल्लोर, श्रीकाकुलम, पश्चिम गोदावरी आदि सहित आंध्र प्रदेश के विभिन्न जिलों में मोलिब्डेनम, ग्रेफाइट, कोबाल्ट, लिथियम, फॉस्फोराइट आदि जैसे महत्वपूर्ण खनिज पदार्थों के लिए 38 खनिज गवेषण परियोजनाएं शुरू की हैं और पूर्वी गोदावरी, अल्लूरी सीताराम राजू, अनंतपुर, विजियानगरम और वाईएसआर (कडप्पा) जिलों में ग्रेफाइट, टंगस्टन, कोबाल्ट और कैडमियम जैसे महत्वपूर्ण खनिजों के लिए संसाधनों में वृद्धि की है। विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय खनिज खोज और विकास न्यास (एनएमईडीटी) ने आंध्र प्रदेश में 17 खनिज गवेषण परियोजनाएं अनुमोदित की हैं, जिनमें वाईएसआर (कडप्पा), प्रकाशम और अल्लूरी सीताराम राजू जिलों में स्थित महत्वपूर्ण खनिजों की 03 परियोजनाएं शामिल हैं।

(ग): खान मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश में निम्नलिखित ब्लॉकों के लिए समुद्र तट रेत खनिजों (बीएसएम) के लिए खनन पट्टा देने हेतु एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की धारा 5(1) के तहत केंद्र सरकार का पिछला अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

क्र. सं.	क्षेत्रफल	पीएसयू/निगम का नाम	अनुमोदन की तारीख
1	670.77 हेक्टेयर और 239.08 हेक्टेयर श्रीकाकुलम जिले का गारा मंडल	आंध्र प्रदेश खनिज विकास निगम (एपीएमडीसी)	19.05.2023
2	90.15 हेक्टेयर भीमुनिपट्टनम डिपॉजिट, विशाखापत्तनम जिला	एपीएमडीसी	14.06.2022

इसके अतिरिक्त, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को 15 मई, 2025 को अनंतपुर जिले में बालेपालयम टंगस्टन ब्लॉक के लिए संयुक्त अनुज्ञप्ति देने के लिए आशय पत्र (एलओआई) जारी किया गया है।

(घ): आंध्र प्रदेश सरकार ने विशाखापत्तनम और मछलीपट्टनम में महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण सुविधाएं स्थापित करने के लिए निवेशकों के साथ चर्चा की है।

*****

अनुलग्नक

वर्ष 2022-23 से जीएसआई द्वारा आंध्र प्रदेश के लिए संवर्धित महत्वपूर्ण खनिज संसाधन

क्र. सं.	जिला	कार्य सत्र	खनिज पदार्थ	ब्लॉक	यूएनएफसी चरण	संसाधन (मिलियन टन में)	ग्रेड
1	अनंतपुर	2022-23	टंगस्टन अयस्क	बालेपालयम	जी3	0.0794	0.03% कट-ऑफ पर W03 का औसत ग्रेड 0.09% है।
2	विजियानगरम	2022-23	कोबाल्ट अयस्क	गदाबावलसा	जी3	0.066	200 पीपीएम कोबाल्ट कट-ऑफ पर 390.33 पीपीएम औसत ग्रेड
3	विजियानगरम	2022-23	कोबाल्ट अयस्क	गुम्पमकोंडा	जी2	0.63	200 पीपीएम कोबाल्ट कट-ऑफ पर औसत कोबाल्ट ग्रेड 360 पीपीएम
4	वाईएसआर (कडप्पा)	2022-23	कैडमियम अयस्क	जौकुलपल्ले	जी2	0.7	100 पीपीएम कट-ऑफ पर 151.67 पीपीएम कैडमियम औसत ग्रेड
5	अल्लूरी सीताराम राजू	2023-24	ग्रेफाइट अयस्क	उतला	जी3	0.625	2% कट-ऑफ पर 9% FC का औसत ग्रेड